बिल का सारांश

मॉडल वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा) बिल, 2016

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने नवंबर 2016 में मॉडल वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा) बिल, 2016 जारी किया।
- बिल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद राजस्व के घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है। राज्य जीएसटी एक्ट को जिस तिथि से लागू करेंगे, उस तिथि से लेकर पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य को मुआवजा दिया जाएगा।
- **अनुमानित वृद्धि दर और आधार वर्ष:** पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य के राजस्व की वृद्धि दर 14% प्रति वर्ष अनुमानित है। किसी वित्तीय वर्ष में मुआवजे की राशि की गणना करने के लिए वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा, जिससे राजस्व को अनुमानित किया जाएगा।
- **आधार वर्ष का राजस्व:** आधार वर्ष के राजस्व में निम्नलिखित से प्राप्त कर राजस्व शामिल हैं : (i) राज्य मूल्य संवर्धित कर (वैट), (ii) केंद्रीय बिक्री कर, (iii) प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय के कर, (iv) लग्जरी पर कर, (v) विज्ञापनों पर कर, इत्यादि। लेकिन (i) मानव उपभोग के लिए अल्कोहल, (ii) कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई से प्राप्त होने वाले कर राजस्व को आधार वर्ष के राजस्व में शामिल नहीं किया जाएगा।
- **मुआवजे की गणना और उसे जारी करना:** राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना अंतिम रूप से की जाएगी और उसे प्रत्येक तिमाही के अंत में जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल राजस्व की एक वार्षिक गणना की जाएगी जिसका ऑडिट कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) द्वारा किया जाएगा।
- **जीएसटी कंपनसेशन सेस की वसूली और मुआवजा:** कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी कंपनसेशन सेस नामक अधिभार वसूला जा सकता है जिससे संबंधित सलाह जीएसटी परिषद द्वारा दी जाएगी। इस अधिभार को जीएसटी मुआवजा फंड में जमा की जाएगा। जीएसटी को लागू करने के बाद राजस्व के घाटे के लिए राज्यों को इसी फंड में से मुआवजा दिया जाएगा।
- इस मुआवजा फंड में बची राशि, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, को राज्यों के बीच निम्नलिखित प्रकार से वितरित किया जाएगा: (i) 50% राशि को राज्यों के बीच उन्हें प्राप्त राजस्व के अनुपात में बांटा जाएगा, और (ii) शेष 50% को केंद्र के करों के विभाज्य पूल में जमा कराया जाएगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अरविंद गायम
aravind@prsindia.org

30 नवंबर, 2016